12

# समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

## संयुक्त आदेश

सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं यथा–इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, राज्य निःशक्तता पेंशन योजना एवं राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सामान्य एवं विशेष घटक के तहत पेंशनधारियों को शिविर के माध्यम से पंचायत/वार्ड स्तर पर पेंशन वितरण का प्रावधान है।

मुख्य सचिव, बिहार पटना का पत्रांक–1024 दिनांक 10.07.15 के आलोक में माह–जुलाई– 2015 तक की पेंशन राशि का नगद वितरण सभी प्रखंडो के सभी पंचायतो/वार्डो में दिनांक– 16 जुलाई–2015 से 31 जुलाई–2015 तक किया जाना हैं।

***इसके लिए निम्न निर्देश दिये जाते हैं :–***

1. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें की पंचायतों में शिविर का आयोजन यथासंभव सार्वजनिक स्थलों (स्कूल आदि) पर करेंगें। विशेष परिस्थिति में ही, अधोहस्ताक्षरी को वस्तुस्थिति से अवगत कराकर, शिविर का आयोजन अन्यत्र करेंगें। साथ ही शिविर स्थल पर मूलभुत आवश्यक सुविधा भी मुहैया करायेंगे।
2. किसी भी परिस्थिति में पूर्व निर्धारित वितरण तिथि के दिन ही वितरण सुनिश्चित करेंगें।
3. पेंशन वितरण की सम्पूर्ण जानकारी और कार्यक्रम सभी जनप्रतिनिधियों (मुखिया, वार्ड के प्रतिनिधि, पंचायत समिति, जिला पार्षद, विधायक, विधान पार्षद एवं सांसद) को अवश्य दी जाय एवं उन्हें पंचायत में पेंशन वितरण के दिन आमंत्रित किया जाय।
4. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राशि की ससमय निकासी कर वितरण हेतु सभी वितरण कर्ता (पंचायत सचिव एवं अन्य) को राशि उपलब्ध करायेंगे।
5. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी वितरण के पूर्व पंचायतवार या वार्डवार वितरण का रोस्टर बनाकर प्रचार–प्रसार करा देंगे, ताकि पारदर्शी तरीके से सभी लाभार्थियों को लाभ मिल सके।
6. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी संबंधित बैंको से सम्पर्क कर आवश्यक राशि निकालना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बैंक से बड़े एवं छोटे नोट (500, 100) की आवश्यकता अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। चुँकि अधिक राशि की निकासी एक ही समय की जानी हैं अतएव राशि के आवागमन हेतु आवश्यक सुरक्षा भी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार सुनिश्चित करेंगे।
7. प्रत्येक कैंप में जनशिकायत का अलग काउंटर भी लगाया जाय। इन काउंटरो पर प्राप्त शिकायतो का निदान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
8. वितरण कर्ता (पंचायत सचिव एवं अन्य) प्रत्येक पेंशनर का माह जुलाई 2015 तक के लिए भुगतेय राशि की गणना कर एक्सल शीट या पंजी में अंकित करेंगे एवं वितरण के पश्चात् उसपर पेंशनर का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान प्राप्त करेंगे। एक्सल शीट या पंजी की छाया प्रति प्रतिदिन प्रखंड विकास पदाधिकारी को देंगे एवं एक प्रति जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को भेजेंगे।
9. वितरण कार्यक्रम की विडियोग्राफी करायी जायेगी। इस कार्य हेतु विभाग द्वारा **A.N Sinha Institute**, पटना के **N.S.S** के **Volunteer** को भेजा जायेगा। जहाँ **N.S.S** के **Volunteer** नहीं हो वहाँ निर्वाचन के अनुमोदित दर पर विडियोग्राफी की व्यवस्था प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।
10. वितरण कार्य में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का हस्ताक्षर अलग से पंजी में अंकित किया जायेगा।
11. सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदाधिकारी पेंशन वितरण दिवस को भ्रमणशील रह कर सतत् पर्यवेक्षण एवं पूरी पारदर्शिता के साथ वितरण सुनिश्चित करेंगे।
12. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मृत एवं फर्जी पेंशनधारी के नाम पर किसी भी स्थिति में पेंशन का भुगतान न हो।
13. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिनांक 15.07.15 को जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा राशि निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।
14. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने–अपने पंचायत क्षेत्र से वितरण की अद्यतन स्थिति की सूचना संबंधित अनुमंडल पदाधिकरी को ससमय देंगे । साथ ही इसकी जानकारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्वी चम्पारण को मेल (**addsscmot@gmail.com**) पर या फोन (06252–230061, 8521469800) पर भी निश्चित रूप से देना सुनिश्चित करेंगे।

15. **चूँकि पेंशन वितरण शिविर में काफी भीड़ होने की संभावना हैं अतएव विधि व्यवस्था संधारण हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अपने स्तर से दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि शिविर में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए वे अलग से आदेश अपने स्तर से निकालेंगे।**
16. पेंशन वितरण शिविर के कार्यक्रम का अनुश्रवण सभी अनुमंडल पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
17. शिविर के अंत में अर्थात दिनांक 03.08.15 की शाम को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अधोहस्ताक्षरी के ई–मेल (addsscmot@gmail.com) पर भी सम्पूर्ण प्रतिवेदन भेजेंगे।
18. राशि वितरण के बाद उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रपत्र III में हर हालत में दिनांक 10.08.15 से पहले सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में जमा किया जायेगा।
19. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी राशि की गणना कर लेंगे एवं राशि कम होने पर अविलम्ब इसकी अधियाचना जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से करेंगे।
20. पेंशन शिविर का रोस्टर, संयुक्त आदेश एवं पेंशनर का डाटाबेस अविलम्ब जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय। ताकि पूरी पारदर्शिता लाई जा सके।

**ज्ञापांक :** 229 / **दिनांक :** 16/7/15

प्रतिलिपि :– सभी पंचायत सचिव एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित अन्य वितरण कर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि वेबसाईट पर अपलोड कर दें।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु मजिस्ट्रेट एवं पुलिस ससमय एवं उचित संख्या में पदस्थापित करेंगे।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंडो के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– L.D.M. पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

16.7.15
पुलिस अधीक्षक,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

16/7
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी